मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः**21.04.2025**

अन्तर्राज्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश, 03 शातिर अपराधी चोरी के अष्टधातु की मूर्ति (वजन-15 कि.ग्रा.) के साथ गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद—

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान व चोरी की घटना कारित कर सामानों की खरीद/बिक्री करने वालो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना चुनार पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांक 20.04.2025 को प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्र भूषण मौर्य मय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि इस दौरान थाना चुनार क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा चोरी के सामानों की बिक्री करने की सूचना जरिए मुखबिर प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना चुनार पुलिस टीम द्वारा थाना चुनार क्षेत्रांतर्गत ग्राम बरगवां खरहटिया के पास से मोटर साइकिल सवार 03 व्यक्तियों को पकड़ा गया। जिन्होने पूछताछ में अपना नाम पता 1.अभिमन्नू उर्फ मन्नू पुत्र राजाराम निवासी बलुआ बजाहुर थाना चुनार जनपद मीरजापुर, 2. नागेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 जोखन प्रसाद निवासी बलुआ बजाहुर थाना चुनार जनपद मीरजापुर व 3.रविकान्त उर्फ सोनू पुत्र राजकुमार निवासी डुलहाडौल थाना चुनार जनपद मीरजापुर बताया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का अष्टधातु की मूर्ति (वेणू गोलाप की मूर्ति) बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल वाहन संख्या UP 63 AH 3473 को 207 एम.वी. एक्ट में सीज किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चुनार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 193/2025 धारा- 16 प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, 25 प्राचीन वस्तु एवं कला खजाना अधिनियम 1972 व धारा 317(2),317(5) बीएनएस पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगो का एक संगठित गिरोह है। हम लोग अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ये अष्टधातू की मूर्ति (वेणू गोपाल की मूर्ति) दक्षिण भारत के किसी मंदिर से चोरी किये थे। जिसे हम लोगो द्वारा आज बेचकर प्राप्त धनराशि को आपस में बाट लेने का योजना था परन्तु आप लोगो द्वारा हमे पकड़ लिया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1.अभिमन्नू उर्फ मन्नू पुत्र राजाराम निवासी बलुआ बजाहुर थाना चुनार जनपद मीरजापुर, उम्र करीब- 35 वर्ष।
2. नागेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 जोखन प्रसाद निवासी बलुआ बजाहुर थाना चुनार जनपद मीरजापुर, उम्र करीब- 28 वर्ष।
3.रविकान्त उर्फ सोनू पुत्र राजकुमार निवासी डुलहाडौल थाना चुनार जनपद मीरजापुर उम्र करीब- 20 वर्ष।

पजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 193/2025, धारा-16 प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, 25 प्राचीन वस्तु एवं कला खजाना अधिनियम 1972 व धारा 317(2),317(5) बीएनएस।

विवरण बरामदगी—

01 अष्टधातु की मूर्ति-वजन 15 किलोग्राम (वेणू गोपाल की मूर्ति)

घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल वाहन संख्या- UP 63 AH 3473

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

ग्राम बरगवां खरहटिया के पास से, दिनांकः 20.04.2025 को समय 14.46 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

प्रभारी निरीक्षक थाना चुनार रवीन्द्र भूषण मौर्य मय पुलिस टीम।